भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2902

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की कमी

2902. श्री मो॰ नदीमुल हक़:
श्री संभाजी छत्रपती:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक भाग विशेषकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को हाल ही में पेयजल की कमी का सामना करना पड़ा और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हो कि राज्यों के पास जनता को आपूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल हो; और

(ख) स्वच्छ पेयजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई लघुवधि और दीर्घकालिक उपाय पहले ही किए गए हो अथवा किए जाने की योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जी हां। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुमानों के आधार पर मंत्रालय ने मानक प्रचालन पद्धति के अनुसार कम वर्षा के कारण पैदा हुई पेयजल की कमी से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्यों को एसओपी के अनुसार आकस्मिक योजना तैयार करने के लिए आग्रह किया है और जल की कमी को कम करने हेतु इसे निष्पादित करने को भी कहा गया है। सूखे के चलते/सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए राज्यों द्वारा किए जाने वाले न्यूनीकरण उपायों के संबंध में मंत्रालय, प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह जारी करता है। दिनांक 4.11.2016 के हाल की ही एडवाइजरी में राज्यों से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के संकट से निपटने के लिए निम्नांकित उपायों को अपनाने को कहा गया है:-

क. डीजल जनरेटर सेटों, पंपों को हायर करना

ख. आपदा निधि के तहत भावी रिलीजों से प्रतिपूर्ति के अध्यधीन प्रभावित स्थलों तक आपातकालीन जल आपूर्ति के लिए जल टैंकरों को हायर करना

ग. उचित कीटाणुनाशक हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइट, हैलोजन टैबलेटों, ब्लीचिंग पाउडर की खरीद।

घ. यथास्थान साफ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल शोधन संयंत्रों से जुड़े पर्याप्त वाहनों की हायरिंग।

ड़. अतिरिक्त पुर्जों का पर्याप्त स्टॉक रखना जिसकी नल जल आपूर्ति स्कीमों और हैंड पंपों (ट्यूबवेलों) दोनों हेतु तत्काल मरम्मत और रेस्टोरेशन कार्य दोनों हेतु आवश्यकता पड़ सकती है।

च. हैंडपंपों के प्लेटफार्मों की स्थापना।

छ. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत भावी रिलीजों से प्रतिपूरण के अध्यधीन राहत कैंपों में पेयजल की आपूर्ति हेतु पॉलीविनाइल क्लोराइड जल टैंकों की खरीद

(ख) दीर्घावधि समाधान के रूप में इस मंत्रालय ने राज्यों को ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति से कवर करने का निदेश दिया है। इस मंत्रालय ने 2011-22 की अवधि तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु एक कार्यनीति तैयार की है। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति से कवर करने का लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने हेतु 14वें वित्तीय आयोग के तहत निधियों के वर्धित हस्तांतरण को देखते हुए राज्य योजना से और अधिक निधियां इकट्ठा करने की सलाह राज्यों को दी गई है और एनआरडीडब्लूपी के तहत मंत्रालय से निधियन के अतिरिक्त ऋण देने वाली एजेंसियों से बाहरी सहायता अथवा ऋण की व्यवस्था करने को कहा गया है। आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के संबंध में अल्पावधि के रूप में मंत्रालय ने राज्यों को सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र उपलब्ध कराने की सलाह दी है।